ने आग के कारण नष्ट हुए 5.92 लाख टन कोयले स्टॉक को बट्टे खाते में डाल दिया है ।

(ख) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कुछ अंतर्निहित तकनीकी समस्याओं के कारण वाशरी वर्तमान में इसकी क्षमता पर 800 टन प्रति घंटे के लगभग 82./. पर कार्य कर रही है। दोषों को ठीक किए जाने के जरिए वाशरी क्रियाकलापों में सुधार किए जाने की एक योजना क्रियान्वयनाधीन है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र राज्यविद्युत बोर्ड को पत्थर मिश्रित कोयले की पूर्ति किया जाना

681. श्री **सुशील कुमार सम्भाजीराव शिन्दे** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए जा रहे कोयले में पत्थर की मात्रा बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) शुद्ध कोयले की पूर्ति किए जाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कोल इंडिया लि. द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को पूर्ति किए गए कोयले में पत्थर की मात्रा 5 लाख टन तक थी ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने 26.95 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है ;

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, नहीं । किन्तु महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम. एस. ई. बी.) के विद्युत गृहों से कोल इंडिया लि. (को. ई लि.) द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । गणवत्ता के संबंध में ये शिकायतें मुख्यतः कोयले में अपशिष्ट सामग्री की उपस्थिति होने तथा उसके बड़े आकार में होने से सम्बद्ध हैं । कोयले के उत्खनन, विशेषतौर पर ओपनकास्ट खानों में कुछ पत्थर/शैल/अपशिष्ट सामग्री कोयले के साथ मिल जाती है ।

(ग) उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए फीडर ब्रेकरों तथा कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना हेतु एक कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

(2) कोयले के लदान के समय पत्थरों का पृथक्करण किया जा रहा है ।

(3) कोयला रख-रखाव संयंत्रों में शैल तथा पत्थर के टुकड़ों को उठाने के लिए धीमी गति से चलने वाली पिकिंग बेल्ट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

(4) कोयले की गणवत्ता बनाए रखने तथा रेलवे साईडिंग पर कार्य कर रहे श्रमिकों, पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों में जागरूकता विकसित करने हेतु लदान के समय बेहतर पर्यवेक्षण का सुनिश्चिय किया जा रहा ।

(5) पिटहैड अथवा रेल/सड़क साईडिंग (लदान स्थल पर) मात्रा तथा गुणवत्ता के सुनिश्चय के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं तथा अभी भी उठाए जा रहे हैं ताकि इस संबंध में बाद में कोई शिकायत न मिले जिससे खरीददार तथा विक्रेता के मध्य विवाद को टाला जा सके ।

(घ) से (छ) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने कोयले के साथ बड़े आकार के शैल्स/पत्थरों की आपूर्ति किए जाने के एवज् में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे. को. लि.) की ओर कुछ दावा प्रस्तुत किया है । वे. को. लि. ने स्पष्ट किया है कि यदि एम. एस. ई. जी. द्वारा दिए गए आंकड़े सही भी हैं तो भी बड़े आकार के शैल्स/पत्थर कुल कोयले के आपूर्ति के केवल तकरीबन 0.7% हैं । उत्खनन की प्रक्रिया में कुछ शैल्स/पत्थर कोयले

के साथ मिल जाते हैं तथा उन्हें पूरे तौर पर निकालना संभव नहीं होता है। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे स्वीकृत प्रतिशतता से अधिक न हों। रेलवे को कोयले की आपूर्ति के लिए किए गए समझौते के अनुसार इसे 3 प्रतिशत रखा गया है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने सरकार को सूचित किया है कि अध्यक्ष, एम. एस. ई. बी. के साथ 24 जून, 1992 को हुए विचार-विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि एम. एस. ई. बी., विद्युत गृहों के सभी कोयलाखाडों से पिछली अवधि के लिए सूचित पत्थरों तथा शैल्स को हटा दिया जाएगा। अतः रेलवे के साथ हुए करार के अनुसार 3./. की सहनीय सीमा को ध्यान में रखने के पश्चात् प्रत्येक माह के आधार पर प्राप्त हुए पत्थरों तथा शैल्स (+200 मी. मी.) का संयुक्त मूल्यांकन किया जाएगा। एम. एस. ई. बॉ. द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 1992 के प्रभावी संयुक्त मूल्यांकन किए जाने संबंधी उपर्युक्त निर्णय को अभी पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना है। अतः बे को. लि. यह महसूस करती है कि एम. एस. ई बी द्वारा किए गए दाव युक्तिसंगत नहीं है।

Royalty on Coal

682. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether Government have any set policy outline on coal royalty, if so, the details thereof;

(b) whether it is a fact that royalty on coal was not increased by Government while ncreasing the royalty on petroleum products;

(c) if so, what are the reasons thereof;

(d) whether Govecnment propose to increase the coal royalty in the near future;

(e) if so, details thereof; and

(f) if not, reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) Rates of royalty on coal are fixed by the Central Government in exercise of powers confered on it vide Section 9(3) of the Mines & Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.

(b) and (c) After the revision of rates of royalty w.e.f. 13-2-1981, the next revision became due on 14-2-1985 but the rates were not revised till 1-8-1991 keeping in view the problems posed by the imposition of very heavy Cesses/Levies on coal by some State Governments.

(d) to (f) In terms of proviso to Section 9(3) of the Mines & Minerals (Regulation & Development) Act, 1957, Central Government is barred from enhancing the rates of royalty in respect of any minerals more than once during a period of 3 years. Since last increase in rates of royalty on coal was made effective from 1-8-1991, next upward revision of royalty rates could be allowed only after 1-8-1994.

Use of railway wagons for transportation Coal

683. SHRI DIGVIJAY SINGH :

SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) what is the total number of railway wagons used for transportation of coal from different collieries, colliery-wise;

(b) the number of wagons out of them that are in a working condition and those that are unfit for work;

(c) whether wagons provided to his Ministry are being used properly;

(d) wheher his Ministry has suffered a loss of crores of rupees due to lack of full utility of railway wagons provided to his Ministry; and